

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 01.09.2026 को बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ CSR के संबंध हुई बैठक की कार्यवाही:-

1. बैठक का उद्देश्य

दिनांक 01.09.2026 को माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के विभिन्न निदेशालयों/संस्थानों के बैंक खातों, उनमें उपलब्ध राशि तथा CSR के अंतर्गत किए गए व्यय की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही, सरकारी विद्यालयों के विकास में CSR, पूर्व-छात्रों, विभिन्न संस्थाओं एवं अन्य हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु "मेरा विद्यालय, मेरा स्वाभिमान-विद्या सहयोग (Vidya-Sahyog)" पहल पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक के क्रम में निदेशालयों/संस्थानों से उपलब्ध कराये गये विवरण के आधार पर कुल "111 बैंक खातों में ₹3046.1316051 करोड़" की राशि का बैंक शेष दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त ₹2802.5982743 करोड़ की सावधि जमा/निवेश राशि अलग से दर्शायी गई है, जिसे बैंक शेष में सम्मिलित नहीं किया गया है।

2. निदेशालयों/संस्थानों के बैंक खातों एवं उपलब्ध राशि की स्थिति

समीक्षा के दौरान निदेशालयवार बैंक खातों एवं उपलब्ध राशि की स्थिति निम्नवत पाई गई:-

क्र०	निदेशालय/संस्थान	बैंक खातों की संख्या	बैंक शेष (करोड़ रु.)	CSR व्यय 2025-26 (करोड़ रु.)
1.	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (BEPC), पटना	21	1245.5626400	अप्रतिवेदित
2.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि. (BSEIDC), पटना	अप्रतिवेदित	0.4331774	0.5252354
3.	मध्याह्न भोजन योजना/पी.एम. पोषण	2	538.8400000	0.00
4.	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	22	593.1849846	अप्रतिवेदित
5.	राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT)	26	217.2565038	0.00
6.	प्रशासन निदेशालय	1	0.0232122	अप्रतिवेदित
7.	जन शिक्षा निदेशालय	4	22.9012134	0.00

8.	प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	1	0.0596906	अप्रतिवेदित
9.	बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम लि.	9	251.1954624	0.00
10.	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति	अप्रतिवेदित	77.7733386	अप्रतिवेदित
11.	बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड	11	48.7650342	0.00
12.	बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड	2	0.9669542	अप्रतिवेदित
13.	बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE)	12	49.1693937	अप्रतिवेदित
कुल		111	3046.1316051	0.5252354

(*उक्त समेकित विवरण में "अप्रतिवेदित" का अर्थ है कि संबंधित स्रोत में उक्त मद की सूचना अंकित नहीं है।*)

3. CSR व्यय की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2025-26 के संबंध में केवल "वास्तविक CSR व्यय" को आधार बनाया गया है। प्रावधान, 2% दायित्व, प्राप्त निधि अथवा संचित शेष को वास्तविक व्यय में सम्मिलित नहीं किया गया है।

बैठक के क्रम में "BSEIDC द्वारा ₹0.5252354 करोड़" का CSR व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत "महिला महाविद्यालय, समस्तीपुर में "Indoor Badminton Court" का निर्माण कार्य किया गया है।

अन्य कुछ संस्थानों द्वारा CSR के अंतर्गत शून्य व्यय की सूचना दी गई, जबकि शेष संस्थानों के संबंध में CSR व्यय अप्रतिवेदित है।

4. बैंकवार खातों एवं राशि की स्थिति

समीक्षा के क्रम में बैंकवार स्थिति भी प्रस्तुत की गई, जो कि निम्न है—

क्र०	बैंक के नाम व खातों की संख्या	बैंक शेष (करोड़ रु.)
1.	SBI — 22 खाते	1092.2001654
2.	BOB	1529.7517594
3.	बिहार ग्रामीण विकास बैंक	821.2293707
4.	HDFC Bank — 15 खाते	681.3644359

5.	Indian Bank — 16 खाते	309.1463568
6.	IDBI Bank — 10 खाते	239.5980936
7.	ICICI Bank — 9 खाते	202.3918834
8.	Indian Overseas Bank — 12 खाते	190.4417100
9.	Bank of India — 9 खाते	162.6209160

सभी बैंकों को निदेशालय/संस्थानवार खातों एवं उपलब्ध राशि की स्पष्ट पहचान एवं समेकित विवरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

5. माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए निदेश

बैठक में समीक्षा के उपरान्त माननीय मंत्री महोदय द्वारा निम्नलिखित निदेश दिए गए—

(i) अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश

सभी निदेशालयों/संस्थानों को अपने-अपने बैंक खातों, उनमें उपलब्ध राशि तथा CSR से संबंधित "अद्यतन प्रतिवेदन" शीघ्र समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(ii) बैंकवार खातों की पहचान

प्रत्येक निदेशालय/संस्थान के अंतर्गत संचालित बैंक खातों की "बैंकवार पहचान" करते हुए स्पष्ट रूप से यह विवरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया कि संबंधित निदेशालय/संस्थान के कितने बैंक खाते किन-किन बैंकों में संचालित हैं?

(iii) सभी बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त करने का निदेश

बैठक में उपस्थित सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को शिक्षा विभाग के अंतर्गत CSR के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों के संबंध में "प्रस्ताव समर्पित करने" का निदेश दिया गया।

(iv) कार्य-योजना के आधार पर राशि का प्रस्ताव

प्रत्येक बैंक को एक स्पष्ट एवं ठोस "कार्य-योजना (Action Plan)" तैयार करते हुए प्रस्ताव समर्पित करने का निदेश दिया गया, जिसमें प्रस्तावित कार्य, उनके क्रियान्वयन की रूपरेखा तथा व्यय की जाने वाली राशि का स्पष्ट उल्लेख हो।

(v) बैंकों के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक

माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभी संबंधित बैंकों के "वरीय पदाधिकारियों के साथ मुलाकात/बैठक" किए जाने की बात कही गई।

6. "मेरा विद्यालय, मेरा स्वाभिमान-विद्या सहयोग" पहल

बैठक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत "मेरा विद्यालय, मेरा स्वाभिमान-विद्या सहयोग (Vidya-Sahyog)" पहल पर भी विचार-विमर्श किया गया।

इस पहल का उद्देश्य एक सुरक्षित डिजिटल मंच के माध्यम से पूर्व-छात्रों, समुदाय, NGOs एवं CSR भागीदारों को सरकारी विद्यालयों की आवश्यकताओं से जोड़ना तथा विद्यालयों को अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं गौरवशाली बनाना है। इसके अंतर्गत योगदान, CSR भागीदारी, विद्यालय दत्तक ग्रहण, पंजीकृत विद्यालय तथा सत्यापन/पहचान जैसे प्रमुख मॉड्यूल प्रस्तावित हैं और राज्य के सभी 38 जिलों तक इसके विस्तार की परिकल्पना की गई है।

7. विद्यालयों के दत्तक ग्रहण एवं आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण संबंधी सुझाव

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा सुझाव दिया गया कि—

- I. सभी बैंकों को सरकारी विद्यालयों को "Adopt (दत्तक ग्रहण)" करने हेतु प्रेरित किया जाए।
- II. बैंकों को विद्यालयों की "Infrastructure/आधारभूत संरचना को सुदृढ करने" में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
- III. विद्यालयों की आवश्यकता के अनुरूप आधारभूत संरचना, डिजिटल कक्षा, पुस्तकालय, कंप्यूटर, प्रयोगशाला आदि क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का उपयोग किया जाए।

"विद्या-सहयोग" पहल में भी विद्यालयों के समग्र विकास हेतु संस्थाओं/कॉर्पोरेट/पूर्व-छात्र समूहों द्वारा विद्यालय को दीर्घकालिक रूप से Adopt करने की परिकल्पना की गई है।

8. CSR के प्रभावी उपयोग हेतु सोसाइटी के गठन का सुझाव

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा सुझाव दिया गया कि CSR से प्राप्त राशि के "सुव्यवस्थित एवं प्रभावी उपयोग" के लिए स्वास्थ्य विभाग में प्रचलित मॉडल के सदृश्य एक "सोसाइटी के गठन" की कार्रवाई की जाए।

इस संबंध में उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था, संचालन प्रक्रिया एवं आवश्यक नियम/दिशा-निर्देश तैयार किए जाने की आवश्यकता पर विचार किया गया।

9. CSR में बैंकों की सहभागिता

माननीय मंत्री महोदय के निदेश के आलोक में सभी संबंधित बैंकों से शिक्षा विभाग के विद्यालयों के विकास के लिए CSR के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

प्रस्तावों में विद्यालयों की वास्तविक आवश्यकता, प्रस्तावित कार्य, अनुमानित लागत, कार्यान्वयन की समय-सीमा तथा अपेक्षित परिणाम का स्पष्ट उल्लेख किए जाने की अपेक्षा

की गई, ताकि CSR संसाधनों का उपयोग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रभावी रूप से किया जा सके।

10. पारदर्शिता, सत्यापन एवं निगरानी

बैठक में "मेरा विद्यालय, मेरा स्वाभिमान-विद्या सहयोग" पहल के अंतर्गत CSR एवं अन्य योगदानों के उपयोग में पारदर्शिता एवं सत्यापन की आवश्यकता पर भी विचार किया गया।

प्रस्तावित डिजिटल व्यवस्था में योगदान/भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल एवं पारदर्शी रखने तथा वित्तीय योगदान स्वीकार करने से पूर्व दाता का e-KYC सत्यापन अनिवार्य किए जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है।

साथ ही, राज्य, जिला एवं विद्यालय स्तर पर समिति/प्रबंधन व्यवस्था तथा नियमित वित्तीय एवं कार्यगत जाँच/ऑडिट की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे प्राप्त संसाधनों के उपयोग एवं कार्यों का सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके।

11. अनुपालन हेतु अपेक्षित कार्रवाई

उपर्युक्त निदेशों के आलोक में संबंधित निदेशालयों/संस्थानों तथा बैंकों द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है, जो कि निम्न है—

- I. सभी निदेशालय/संस्थान अद्यतन बैंक एवं CSR विवरण समर्पित करेंगे।
- II. निदेशालयवार बैंक खातों की बैंकवार पहचान एवं विवरण उपलब्ध कराया जाना।
- III. सभी संबंधित बैंक CSR के अंतर्गत प्रस्ताव एवं कार्य-योजना समर्पित करेंगे।
- IV. प्रस्तावों में कार्यवार अपेक्षित राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना।
- V. विद्यालयों को Adopt करने एवं उनके Infrastructure के सुदृढीकरण में बैंकों की सहभागिता हेतु आवश्यक पहल पर विचार करना।
- VI. CSR के प्रभावी उपयोग हेतु स्वास्थ्य विभाग के मॉडल के अनुरूप सोसाइटी गठन के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में शिक्षा विभाग के बैंक खातों एवं CSR संसाधनों के अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख उपयोग तथा सरकारी विद्यालयों के समग्र विकास हेतु बैंकों एवं अन्य हितधारकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुपालन में संबंधित निदेशालयों/संस्थानों एवं बैंकों द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव समर्पित किए जाने की अपेक्षा की गई।


11/09/26
(धर्मेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक - ०५/वि०-१६-३०/२०२५-१८५८/

पटना, दिनांक - १५/०९/२०२६

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/राज्य परियोजना निदेशक, BEPC/प्रबंध निदेशक, BSEIDC/प्रबंध निदेशक, BSTBPCL/मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, BBOSE/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी उप निदेशक, शिक्षा विभाग/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/सभी संबंधित बैंकों के प्रतिनिधि/आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


११/०९/२०
विशेष सचिव।